दिनांक 10/05/2019 को अकादमिक निदेशालय में आहूत आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंन्द्र (सी0आई0क्यू0ए0) की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र (सी0आई0क्यू0ए0) की स्थापना एवं उद्देश्य और कार्य के विर्निर्देशन से संबंधित है, के सम्बन्ध में सी0आई0क्यू0ए0 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की द्वितीय बैठक आहूत की गई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे–

1. प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र	निदेशक, अकादमिक	अध्यक्ष
2. प्रोफेसर गिरिजा पाण्डे	निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा	सदस्य
3. डॉ0 गगन सिंह	सहा0 निदेशक, अकादमिक	सदस्य
4. डॉ0 मदन मोहन जोशी	समाज विज्ञान विद्याशाखा	सदस्य
5. डॉ0 देवेश कुमार मिश्र	मानविकी विद्याशाखा	सदस्य
6. डॉ0 शालिनी सिंह	विज्ञान विद्याशाखा	सदस्य
7. हर्ष वर्धन लोहनी	अकादमिक निदेशालय	सदस्य

(**नोटः** डॉ0 सुमित प्रसाद अवकाश पर होने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।)

बैठक की अध्यक्षता प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, निदेशक, अकादमिक द्वारा की गई। बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए–

1. **प्रथम बैठक दिनांक 16/03/2019 को लिये गये निर्णयों के अनुसार विभागों/ सदस्यों को आबंटित कार्यदायित्वों की समीक्षा ।**

सर्वप्रथम बैठक में पूर्व बैठक दिनांक 16/03/2019 के कार्यवृत्त के अनुसार समस्त सदस्यों/विभागों को आबंटित किये गये कार्यों की समीक्षा की गई जिस पर सभी सदस्यों द्वारा पूर्व बैठक के कार्यवृत्त पर कृत कार्यवाही से समिति को अवगत कराया गया । इसके साथ ही प्रथम बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

2. **बैठक मे एच0आर0आई0एस0 (Human Resource Information System) के लिए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु कुलपति जी को एक पत्र लिखे जाने के सम्बन्ध में ।**

समिति द्वारा विश्वविद्यालय में एच0आर0आई0एस0 (Human Resource Information System) का प्रारूप तैयार कर विश्वविद्यालय की वेबसाइट में कुलपति जी से अनुमोदन प्राप्त कर अपलोड किये जाने पर सहमति दी गई।

3. **आंतरिक गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय में गोष्ठियों के संबंध में चर्चा।**

सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा सर्व–सम्मति से यह निर्णय लिया कि आन्तरिक गुणवत्ता को अधिक सुदृढ़ किये जाने हेतु विश्वविद्यालय में संगोष्ठियों का आयोजन किया जाय जिसमें ODL से जुडे विशेषज्ञों को बुलाया जाय। साथ ही विश्वविद्यालय से जुडे आंतरिक पदाधिकारी जैसे क्षेत्रीय निदेशक, समन्वयक इत्यादि को भी आमंत्रित किया जाय।

(कार्यदायित्व डॉ देवेश मिश्र एवं डॉ0 शालिनी सिंह)

उक्त के अतिरिक्त समिति द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि संगोष्ठियों में उद्योग जगत के सम्मानित व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जाय, जिससे विश्वविद्यालय को छात्रों हेतु वर्तमान परिवेश में शिक्षा और रोजगार के अवसरों का उचित मूल्यांकन करने में सहायता प्राप्त हो सके।

(कार्यदायित्व डॉ सुमित प्रसाद एवं डॉ देवेश कुमार मिश्र)

4. व्यावसायिक/पेशेवर (Vocational) पाठ्यक्रमों द्वारा शिक्षणार्थियों को रोजगार परक शिक्षा प्रदान किये जाने पर विचार ।

वोकेशनल प्रोग्रामों के द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षणार्थियों को रोजगार परक शिक्षा प्रदान किए जाने के विषय पर समिति के द्वारा विचार–विमर्श किया गया । वोकेशनल प्रोग्रामों के नये आयामों एवं उनसे उत्पन्न होने वाले रोजगारों पर सदस्यों द्वारा अपने विचार व्यक्त किये गये। इस कार्य को मूर्त रूप देने के लिए समिति द्वारा **प्रोफेसर गिरिजा पाण्डे** के सहयोग से **डॉ0 गगन सिंह** को उक्त कार्य का दायित्व दिया गया ।

(कार्यदायित्वः– डॉ गगन सिंह)

5. आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केन्द्र के क्रियाकलापों के अन्तर्गत गुणवत्ता निगरानी तन्त्र को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा ।

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केन्द्र के क्रियाकलापों के अन्तर्गत प्रशासनिक कार्यों को सुदृढ़ बनाने हेतु समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि एक निश्चित अन्तराल पर विश्वविद्यालय की वित्तीय समीक्षा हेतु एक आडिट प्रणाली विकसित की जाय और इसका एक प्रारूप बना कर वित्त विभाग को भेजा जाय। साथ ही इस कार्य हेतु लेखा कार्यों से जुडे किसी भी सेवा निवृत्त व्यक्ति से (एक निश्चित अवधि हेतु) समय– समय पर उक्त कार्य के सम्पादन हेतु सेवायें लिये जाने की अनुशंसा की गई।

(कार्यदायित्वः– डॉ गगन सिंह)

6. पाठ्य–विषयों की कार्यशालाओं के परिणामों को और अधिक प्रासंगिक बनाये जाने पर चर्चा।

पाठ्य विषयों की कार्यशालाओं की विषयवस्तु एवं उनसे अधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यशालाओं को और अधिक प्रासंगिक बनाये जाने पर समिति द्वारा विचार कर निर्णय लिया गया कि, प्रत्येक कार्यशाला का फीडबैक लिया जाना चाहिए। इस हेतु ऑनलाइन एवं ऑफलाइन फीडबैक की व्यवस्था की जाय जो कि NAAC के 7 बिन्दुओं पर आधारित होगी, जिससे भविष्य में

इन्ही मानकों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की जा सके।

साथ ही समिति द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि, कार्यशालाओं से सम्बन्धित फीडबैक के माध्यम से (आन्तरिक एवं बाहय) विश्वविद्यालय की सर्वोत्तम पद्धतियों की पहचान की जानी चाहिए। इस हेतु एक प्रारूप बनाया जाये और साथ ही उक्त कार्य हेतु विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों के साथ चर्चा कर उन्हें आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केन्द्र (सीका) के क्रियाकलापों एवम NAAC के 7 बिन्दुओं के आधार पर प्रारूप की जानकारी दी जाय।

(कार्यदायित्वः– डॉ एम0 एम0 जोशी)

7. कार्य परिषद, विद्यापरिषद, वित्त समिति इत्यादि की कार्यसूचियों एवं कार्यवाही विवरणों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड किए जाने तथा भौतिक रूप से भी संरक्षित किए जाने के सम्बन्ध में विचारः–

NAAC के द्वारा बनाए गए नियमों में उक्त समितियों इत्यादि की कार्यसूचियों तथा कार्यवाही विवरणों के विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड होने के लिए अंक निर्धारित है। अतः इस विश्वविद्यालय की भी अब तक सम्पन्न सभी बैठकों की कार्यसूचियों व कार्यवाही विवरणों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना उचित होगा। यह पारदर्शिता के सिद्वान्त की दृष्टि से भी आवश्यक है। इसी के दृष्टिगत यू0जी0सी0 की सभी बैठकों की कार्यवाही भी उनकी वेबसाइट पर डाली जाती है। एक बैठक के बाद दूसरी बैठक में कार्यवृत्त की पुष्टि हो जाने के बाद पुष्ट किया जा चुका कार्यवाही विवरण ही इस हेतु लिया जायेगा।
समिति ने यह भी अनुशंसा की कि इन कार्यसूचियों तथा कार्यवाही विवरणों का एक सेट हार्ड कॉपी के रूप में बाइन्ड कराकर पुस्तकालय में भी रखते हुए व्यवस्थित रूप से संरक्षित किया जाय।

(कार्य दायित्वः– डॉ गगन सिंह एवम डॉ शालिनी सिंह)

8. विधिमान्यीकरण पर चर्चा।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि जिन पदनामों तथा प्रक्रियाओं का अभी तक विधिमान्यीकरण नही हुआ है (जैसेः– आर0एस0डी0, निदेशक अकादमिक इत्यादि पदनाम) उनको चिन्हित कर कुलपति जी के समक्ष रखा जाये। इस प्रक्रिया में बाहय विशेषज्ञों की सहायता लेने की अनुशंसा भी समिति के द्वारा की गई, जिससे कि इस तरह के पदनामों तथा प्रक्रियाओं का विधिमान्यीकरण कराया जा सके।

(कार्य दायित्वः– डॉ गगन सिंह एंव डॉ एम0 एम0 जोशी)

9. शिक्षार्थी सहायता/शिकायत प्रकोष्ठ के सम्बन्ध में चर्चा ।

शिक्षार्थी सहायता/शिकायत प्रकोष्ठ में शिक्षार्थियों द्वारा की गई शिकायतों और उनके निवारण से सम्बन्धित विवरण का विश्लेषण किया जाय तथा इसे संरक्षित किये जाने हेतु समिति द्वारा सहमति दी गई, जिससे शिक्षार्थियों की समस्याओं को समझ कर भविष्य में उचित कदम विश्वविद्यालय द्वारा उठाये जा सकें।

10. यू0जी0सी0 (मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति) विनियम, 2017 के अनुलग्नक V व अनुलग्नक VI के मानकों के अनुपालन के सम्बन्ध में चर्चा।

मुक्त विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों को NAAC से मान्यता/प्रत्यायन प्राप्त करने की आवश्यकता के दृष्टिगत एंव विश्वविद्यालय में NAAC के प्रस्तावित निरीक्षण एंव NAAC के द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता/प्रत्यायन हेतु यू0जी0सी0 (मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति) विनियम, 2017 के अनुलग्नक V (शिक्षार्थी सहायता केन्द्र में परामर्शदाता की सक्षमतांए) व अनुलग्नक VI (शैक्षणिक और बुनियादी अवश्यकताएं) के मानकों को पूर्ण किये जाने की अनुशंसा समिति द्वारा की गई।

अन्त में अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक सम्पन्न हुई।

(प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र) 20/5/19

(प्रोफेसर गिरिजा पाण्डे) 20/5/2019

(डॉ0 गगन सिंह) 20/5/19

(डॉ0 मदन मोहन जोशी)

(डॉ0 देवेश कुमार मिश्र)

(डॉ0 शालिनी सिंह)

(हर्ष वर्धन लोहनी)

Not required

(कुलपति जी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)